प्रेस नोट

यातायात पुलिस द्वारा दलहो पब्लिक स्कूल म चलाया गया जागरूकता अभियान

यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा रोड पर होने वाली दुर्घटना को कम करने व आमजनमानस में यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करने के क्रम में विभिन्न विद्यालयों, चौराहों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2024 को पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय के निर्देशन, एवं पुलिस उपायुक्त (याता०) व अपर पुलिस उपायुक्त (याता०) के मार्ग दर्शन में दिल्ली पब्लिक स्कूल अमरा– अखरी वाराणसी में एक कार्यशाला आयोजित कर छात्र–छात्राओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से तथा प्रश्नोत्तर के द्वारा जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। यातायात निरीक्षक अरूण कुमार तिवारी द्वारा अपने सम्बोधन में सभी बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने के साथ–साथ उन्हें यह भी बताया गया कि जब तक आप सभी की उम्र 18 वर्ष न हो जाए और वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो तब तक वाहन कदापि न चलाएं। अगर इसका उल्लंघन करते हुए कोई बच्चा पाया जाता है तो बच्चे के साथ–साथ उनके अविभावकों के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उप निरी०याता० नारायण सिंह व देवानंद बरनवाल के द्वारा गोल्डेन आवर, यातायात संकेत, सड़क के संकेत चिन्ह, रोड एक्सीडेंट, ग्रीन कोरीडोर, हाईवे हाइपोनेस, रिफ्लेक्टर, रोड मार्किंग, ब्लैक स्पाट, गुड्स सेमेरिटन आदि के बारे में बताते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से सचित्र वर्णन किया गया तथा बच्चों द्वारा पूछे गए सवाल को सही तरीके से समझाने का भी प्रयास किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश शैलेड द्वारा भी बच्चों को यातायात नियामों का पालन करने तथा दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता को समझाने पर बल दिया गया। अन्त में कार्यशाला इस प्रेरणा के साथ कि सड़क दुर्घटना में एक नेक व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए पीड़ित व्यक्ति की मदद करना हम सभी की परम जिम्मेदारी है, के साथ समाप्त हुई। उक्त कार्यशाला में किरन शर्मा, मुनमुनसेन गुप्ता, मुक्ति पाण्डेय व ट्रांसपोर्ट मैनेजर राजीव के साथ–साथ यातायातकर्मी भी उपस्थित रहे।

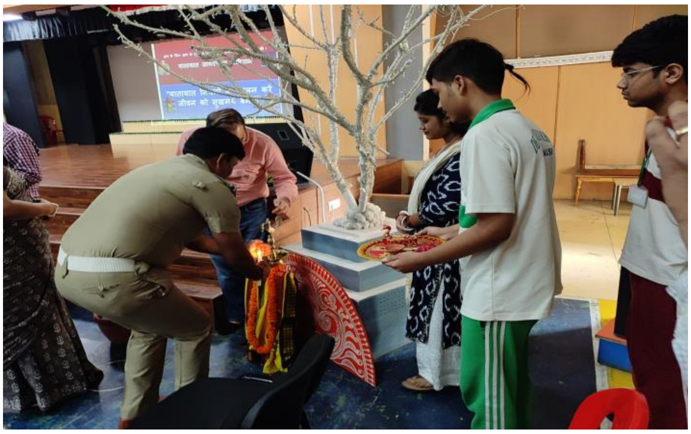

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट–वाराणसी।